आदेश की क्रम सं0 और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1		3

08.06.19

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल
नामान्तरण अपील वाद सं0–07/2013–14
सहबूद शेख
बनाम
अली हुसैन
आदेश

यह नामान्तरण अपील वाद आवेदन आवेदक सहबूद शेख, पे0–स्व0 फैजुद्दीन शेख, सा0–पियारपुर, थाना–राधानगर, जिला–साहेबगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, उधवा के नामान्तरण वाद संख्या 561/2012–13 में दिनांक 23.05.2013 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। जिसे स्वीकृत कर दिनांक 27.09.2013 को वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

इस नामान्तरण अपील वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्न प्रकार है:–

मौजा	तौजी न0	जमाबंदी न0	रकवा
पियारपुर दियरा	232	44	04–08–15 धूर

उभय पक्ष आज उपस्थित।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि प्रश्नगत भुमि मौजा पियारपुर दियरा जमाबंदी न0 44 रकवा 04–08–15 धूर जमीन खतियान में हाजी सफातुल्ला के नाम से दर्ज है जो अपीलार्थी के दादा है। हाजी सफातुल्ला शेख के मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सफीदन बीबी उक्त जमीन में से 03–00–00 धूर तुफानी शेख पिता दिलु शेख के पास निबंधित केवाला संख्या 2702/1955 के द्वारा बिक्री कर दिया। तुफानी शेख द्वारा क्रय की गई जमीन कुल रकवा 03–00–00 धूर में से 10 कट्ठा जमीन तुलोन बीबी पति मसिबुल्ला शेख के पास अनिबंधित केवाला के द्वारा दिनांक 05.06.59 को बिक्री कर दिये। तुफानी शेख से जमीन खरीदने के बाद तुलोन बीबी जमीन का नामन्तरण करा लिया, ततपश्चात उनका पुत्र सरीयत शेख अपने नाम से नामान्तरण करा लिया है, उसके बाद तुफानी शेख ने अपने शेष बचे जमीन 02–10–00 धूर का भी नामन्तरण करा लिए। पुनः तुफानी शेख के पुत्र अली हुसैन एवं हारुण रसीद बिक्री किये 10 कट्ठा जमीन को छिपाकर अपना पिता तुफानी शेख के नाम से 03–00–00 जमीन का निबंधित केवाला दिखाकर 10 कट्ठा जमीन के स्थान पर हाजी सफातुल्ला के शेष बचे 07 कट्ठा 15 धूर जमीन को कानुन को धोखा देकर पुनः नामान्तरण वाद संख्या 100/2012–13 दिनांक 23.05.2013 के द्वारा करा लिया। उस समय भी अंचल अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी सहबूद शेख के द्वारा आपत्ति आवेदन दिया गया था। अपीलार्थी के द्वारा आपत्ति आवेदन के समय वांछित आवश्यक कागजात समय पर नहीं दाखिल कर पाने के कारण नामान्तरण अली हुसैन दिगर के पक्ष में हो गया। जिसमें पुनः अपीलार्थी को कागजात जमा करने का अवसर नही मिल पाया।

अपीलाथी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि तुफानी शेख के मृत्यु के बाद उनके पुत्र उत्तरवादीगण यथा अली हुसैन शेख एवं हारुण रसीद पूर्व नामान्तरण के लगभग 60 वर्ष के बाद पुनः नामान्तरण का आवेदन देकर गलत ढंग से नामान्तरण करा लिये, जो गलत है। उनके द्वारा यह भी संज्ञान में दिया गया कि खतियानी रैयत हाजी सफातुल्ला शेख की पत्नी सफीदन बीबी या हाजी सफातुल्ला शेख के अन्य वारिसान अवशेष 00–07–15 धूर जमीन किसी अन्य व्यक्ति के पास बिक्री नही किया है जो अभी भी अपीलार्थी के भोग दखल में है, जिस पर विपक्षी का कोई दखल कब्जा नही है।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, उधवा के नामान्तरण अपील वाद संख्या 100/2012–13 दिनांक 23.05.2013 को पारित आदेश को अपास्त (Set –a-side) करने का अनुरोध किये है।

आज उत्तरवादी उपस्थित। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि

Scanned with CamScanner

अपीलार्थी के द्वारा दाखिल नामान्तरण अपील वाद नामान्तरण वाद संख्या 100/2012-13 के दिनांक 23.05.2013 के विरूद्ध किया गया है, जो मौजा-पियारपुर दियरा जमाबंदी न0 44 रकवा 07 कट्ठा 15 धूर जमीन से संबंधित है। जबकि नामान्तरण वाद संख्या 100/2012-13 दिनांक 23.05.2013 में पारित आदेश मौजा पियारपुर दियरा जमाबंदी न0 44/4 रकवा 07 कट्ठा 15 धूर है। ज्ञात हो कि उक्त वाद नामान्तरण वाद के तहत् जमाबंदी न0 44 का जमीन नामान्तरण नहीं किया गया है। उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि उत्तरवादी द्वारा मौजा पियारपुर दियरा जमाबंदी न0 44/4 रकवा 10 कट्ठा जमीन का नामान्तरण हेतु दाखिल किया गया था। परन्तु हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा जाँचोपरात जाँच प्रतिवेदन में 07 कट्ठा 15 धूर जमीन उक्त जमाबंदी में शेष बचा है। फलस्वरूप उत्तरवादी के पक्ष में मात्र 07 कट्ठा 15 धूर जमीन का नामान्तरण किया गया है। उनके द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि निबंधित केवाला संख्या 2702/1995 के द्वारा मौजा-पियारपुर दियरा जमाबंदी न0 44/4 कुल रकवा 04 बीघा 08 कट्ठा 15 धूर अन्तर्गत रकवा 03-00-00 धूर जमीन खतियानी रैयत सफातुल्ला शेख से खरीदा। फलस्वरूप सफातुल्ला शेख के पास सिर्फ 01-08-15 धूर जमीन बचा और बाद में सफातुल्ला उक्त जमीन को सादा केवाला के द्वारा दिनांक 15.11.1973 को अपने पुत्र हमजू शेख को बिक्री किये। फिर बाद में हमजू शेख द्वारा अपने पिता से खरीद की गई जमीन को निबंधित केवाला 2422/1973 के द्वारा उत्तरवादी क्रम संख्या 01 के पिता स्व0 तुफानी शेख के पास बिक्री किये। फलस्वरूप उक्त जमाबंदी न0 44/4 में रैयत सफातुल्ला शेख के पास एक भी धूर जमीन नहीं रहा।

अंत में उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी द्वारा दाखिल नामान्तरण अपील वाद सत्य से परे तथा यह वाद चलने योग्य नही है।

अतः उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का अनुरोध है कि अपीलार्थी द्वारा लाये गये नामान्तरण अपील वाद को खारीज किया जाय।

अंचल अधिकारी, उधवा से मूल अभिलेख प्राप्त। मौजा के हल्का कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा पियारपुर दियरा के खाता संख्या 44/4 रकवा 00-07-15 धूर जमीन हाजी सफातुल्ला विश्वास के नमा से पंजी-II में दर्ज है। जिसका वर्त्तमान वारियसान आपतिकर्त्ता सहबुद शेख है। मौजा पियारपुर दियरा जमाबंदी न0 44/4 के अन्दर जमाबंदी रैयत की पत्नी समीदन बीबी से केवाला संख्या 2702/1995 के द्वारा स्व0 तुफानी शेख पिता-स्व0 दिलु शेख सा0-पियारपुर ने 03 बीघा जमीन खरीद किया था। उसमें से 02-10-00 धूर जमीन का नामान्तरण लगभग 1960-61 में हो चुका है। शेष जमीन 10 कट्ठा नामान्तरण नही किया गया है, जैसा कि पंजी-II देखने से प्रतीत होता है। वर्त्तमान में क्रेता तुफानी शेख के पुत्रगण अली हुसैन एवं हारून रसीद शेख उक्त शेष 10 कट्ठा भूमि का नामान्तरण हेतु आवेदन दिया है, जो पंजी-II में हाजी समातुल्ला विश्वास के नाम पर 00-07-15 धूर ही जमीन शेष बचा है। आपत्तिकर्ता सहबूद शेख के द्वारा यह आपत्ति था कि क्रेता पूर्व में जमीन 10 कट्ठा बिक्री किया है। लेकिन इसका ठोस प्रमाण प्रस्तुत नही कर पाये। अतः आपतिकर्त्ता का आपत्ति निराधार प्रतीत होता है। वर्त्तमान में क्रेता तुफानी शेख के पुत्रगण के दखल में जमीन है। अतः पंजी-II में शेष बची हुई रकवा 00-07-15 धूर जमीन का नामान्तरण आवेदक के नाम से किया जा सकता है। जिस पर अंचल निरीक्षक द्वारा नामान्तरण की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है। उक्त अनुशंसा के आलोक में अंचल अधिकारी द्वारा नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपरोक्त तमाम् स्थिति एवं परिस्थिति पर सम्यक विचारोपरांत अंचल अधिकारी, उधवा के नामान्तरण वाद संख्या 561/2012-13 में दिनांक 23.05.2013 को पारित आदेश को अपास्त (Set-a-side) करते हुए निदेश है कि अंचल अधिकारी, पुनः आवेदन लेते हुए न्यायोचित आदेश दखल के आधार पर पारित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता
राजमहल।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता,
राजमहल।

ज्ञापांक-06/भू०सु०
दि0-16.01.2020

Scanned with CamScanner